Contamination of food carried in plastic bags

2625. SHRI K. M. SAIFULLAH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether cooked food or raw flesh gets contaminated in plastic bags; and

(b) if so, the steps taken to ban their use?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) Use of recycled plastic carry bags for packing food materials may cause contamination due to the likely presence of harmful contaminants in such plastic carry bags.

(b) A proposal to prohibit the use of recycled plastic carry bags for packing or carrying foodstuffs and other related materials is under consideration of the Government. As per the statutory requirement, a 60 days' time is to be given for interested parties to file their comments and objections. Taking the same into account, the final notification may be considered for publication.

गंगा / यमुना कार्य योजनाओं संबंधी कार्य का पूर्ण होना

2626. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना संबंधी कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है;

(ख) इनका गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता तथा उसमें घुली आक्सीजन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार इन नदियों में जमी गाद को निकालने के लिए भी कोई योजना बनाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) गंगा कार्य योजना को दो चरणों में लिया गया है। जून, 1985 में शुरू हुए प्रथम चरण में स्वीकृत प्रदूषण निवारण की 261 स्कीमों में से 254 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। शेष सात स्कीमों के 31.3.1999 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई, 1995 से अक्टूबर, 1996 के दौरान 648 रुपये की कुल अनुमोदित लागत में से गंगा नदी की मुख्य धारा से सम्बद्ध कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत 20.35 करोड़ रुपये लागत की स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। यमुना कार्य योजना, जो कि गंगा कार्य योजना चरण-II का भाग है, के अन्तर्गत 479.56 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में से अब तक 403.45 करोड़ रुपये लागत की 99 संयुक्त स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 11 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। शेष स्कीमें कार्यान्वयन / अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत जहां कहीं कार्य पूरे हो चुके हैं और उनका प्रचालन हो रहा है, वहां अनुपत्र में दिए अनुसार जैव रसायन आक्सीजन मांग और घुलित आक्सीजन दोनों रूपों में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। [देखिए परिशिष्ट 184, **अनुपत्र सं० 76**] नदी जल गुणवत्ता पर यमुना कार्य योजना के प्रभाव की आशा केवल सीवेज के अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन और सीवेज उपचार की मुख्य स्कीमें पूरी होने के बाद ही की जा सकती है।

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत इन नदियों में जमा गाद को निकालने के लिए कोई स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

Indoor Pollution

2627. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the indoor pollution is more hazardous than the outside popllution;

(b) if so, the details of the research/ study conducted by various institutes in this regard; and

(c) whether government have taken any steps to make awareness of the indoor pollution and its effect on health?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) The intensity of indoor pollution and its impact on human beings would depend upon the type of fuel used, prevalling ventilation conditions in the dwelling units, period of exposure, nutrition level and individual susceptibility to pollutants.

4042/KS-F34